

# फर्द अहकाम

यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

जग्दीश खन्दा बनाम जयपाल कोठ

कदमा संख्या / वर्ष 29/20 : \_\_\_\_\_ /20 \_\_\_\_\_

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14.11.22		<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वकील उपस्थित। सूची आदेशानुसार पत्रावली दि. 23/11/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>23/11/23</u></p> <p>23/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकील एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। बारबार आवाजे लगाई गई। पत्रावली दिनांक 24/11/20 से जयपाल कोठ पेश करने के पश्चात सैदी वकील प्रतिवादी गण में लायबल बंधे। वकील को पर्याप्त समय दिए जाने के पश्चात भी प्रतिवादी की तबकी चैदु सम्मत लेबाना पेश नहीं किया गया है। वकील द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अदालत में नहीं लाई जा रही है। विलेन यह स्पष्ट होता है कि उस वकील उकरणा के अंत गंभीर नहीं है।</p> <p>अतः वकील का कांड 09R5 cpc में थारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली कुशल सुमार होकर नम्बर से कम होकर कायिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>23/11/23</u></p>	